कार्यालय आदेश

पूर्व निर्गत अधिसूचना पत्रांक सं0 HNBGU/RO/2019/394 दिनांक 20.08.2019 की प्रति पुनः समस्त विभागाध्यक्षों को एतद्द्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि बिना वाहय विशेषज्ञ के पाठ्यक्रम समिति (B.O.S) की बैठक आहूत न की जाय। यदि बिना वाहय विशेषज्ञ के बैठक आहूत की जाती है, तो बैठक कार्यवृत्त को अनुमोदित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

आज्ञा से,
कुलपति

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल

संदर्भ सं0 : शैक्षणिक / 2020 / 73 दिनांक : 19 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त संकायाध्यक्ष / समस्त संयोजक–पाठ्यक्रम समिति , हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
2. परिसर निदेशक, बादशाहीथौल, टिहरी / पौडी / चौरास परिसर।
3. निदेशक–आई0क्यू0ए0सी0 / एफ0डी0सी0।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
5. संयुक्त कुलसचिव / समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव।
6. सिस्टम मैनेजर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. निजी सचिव–कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
8. निजी सचिव–कुलसचिव।

कुलसचिव

अधिसूचना

प्रायः यह देखने में आया है कि बिना वाह्य विशेषज्ञों की उपस्थिति के विभिन्न विभागों द्वारा पाठ्यक्रम समिति की बैठकें आयोजित की जा रही है, जो कि पाठ्यक्रम समिति के अधिनियमों के अनुरूप नही है। शोध अधिनियम के परिनियम 2(ii) 4 के अन्तर्गत दो वाह्य विशेषज्ञ (अन्य विश्वविद्यालय/संस्थानों से) दो वर्ष के लिए कुलपति महोदय द्वारा नामित किये जाते है। यदि किसी विभाग की पाठ्यक्रम समिति के वाह्य विशेषज्ञों का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो/हो गया हो, तो कुलपति महोदया के अनुमोदन हेतु नये सदस्यों के नाम प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे यथा समय पाठ्यक्रम समिति हेतु नये सदस्यों को नियुक्त किया जा सके। भविष्य में होने वाली पाठ्यक्रम समिति की बैठकों में बिना वाह्य विशेषज्ञों के बैठक आहूत न करें। यदि सम्बन्धित विभागों द्वारा बिना वाह्य विशेषज्ञों के पाठ्यक्रम समिति की बैठक आहूत की जाती है, तो उस के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया जाना सम्भव नही होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में बिना वाह्य विशेषज्ञों के पाठ्यक्रम समिति की बैठक आहूत न करें। यदि आपके द्वारा कोई भी बैठक आहूत की जाती है तो उस बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा।

आज्ञा से
कुलपति

हेमवती नन्दन बहुगणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पत्रांक सं० HNBGU/RO/2019/ 394 दिनाक 20-08-2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप कुलसचिव, शैक्षणिक को इस आशय से प्रेषित कि बिना वाह्य विशेषज्ञों की उपस्थिति के पाठ्यक्रम समिति की पंजिका अनुमोदन हेतु अग्रसारित न करें।
3. निजी सचिव, कुलपति महोदया, कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, कुलसचिव को गार्ड फाईल में संकलन हेतु प्रेषित।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की बेवसाईट में अपलोड करें।

कुलसचिव